फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

चन्द्रपाल बनाम विद्या आदि

किस्म मुकदमा : 88 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 950/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
23.11.2022	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 23/12/2022 को पेश हो ।	
23/12/22	वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किये । आगामी पेशी पर रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 11/4/23 को पेश हो।	
12/4/23	पत्रावली पूर्व पेशी पर अवकाश होने पर आज पेश हुई। प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन आवश्यक तौर से पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 26/4/23 को पेश हो।	
26/4/23	पत्रावली पेश हुई श्री एन.पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली दि0 29/5/23 को पेश हो।	
29/5/23	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान वर्ष 2023 के लिए सोनड़ी में पेश हुई। अधिवक्ता उपस्थित नहीं पत्रावली दिनांक 11/8/23 को पेश हो।	
11/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] एवं उपस्थित नहीं, [illegible] उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम पैरवी व अदम पैरवी में अनुपस्थिति प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली नस्ती [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:41:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner